न्यायालय , भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,बेरमो (तेनुघाट)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 11 वर्ष 2017

आवेदक–डोमन महतो वगैरह	क्रेता– इन्द्रनाथ महतो वगै0
ग्राम – छोटकीपुन्नू टोला– +++	ग्राम –छोटकीपुन्नू टोला– +++
थाना –गोमिया जिला–बोकारो	थाना – गोमिया जिला– बोकारो

की क्र0 तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख व साथ। 03

आदेश

यह वाद आवेदक डोमन महतो ,मोहन महतो दोनो पिता स्व0 नान्हु महतो निवासी ग्राम छोटकीपुन्नू थाना गोमिया जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
छोटकीपुन्नू	56	20	498	50 डी0	20 डी0	कृषि योग्य

को वे घरेलू कार्य तथा निजि कार्य हेतु मो0 1,25,000/– (एक लाख पच्चीस हजार) रूपये में क्रेतागण–इन्द्रनाथ महतो, परमेश्वर महतो दोनो पिता स्व0 लेदो महतो, सहदेव महतो पिता स्व0 बैजनाथ महतो ग्राम छोटकीपुन्नू थाना –गोमिया जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 54 रा0, दिनांक 28.01.2017 के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 552 दिनांक 05.07.2017 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेतागण एवं क्रेतागण दोनो कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेतागण एवं केतागण दोनो एक ही ग्राम, थाना–गोमिया जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में भिखना महतो के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी नान्हो महतो के नाम से पंजी–II में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि केवाला द्वारा हासिल है।
03. जमाबन्दीधारी रैयत से बिकेता का संबंध पिता का है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेतागण द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज भिखना महतो के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी नान्हु महतो के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेतागण का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेतागण– भिखना महतो के नाम सर्वे खतियान की छायाप्रति तथा नान्हु महतो के नाम डीड की छायाप्रति जिसाका केवाला सं0 1307 दिनांक 14.09.1936 है, नान्हु महतो वगैरह के नाम लगान रसीद की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेतागण– स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेतागण एवं क्रेतागण दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा वे दोनों एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेतागण के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक डोमन महतो, मोहन महतो दोनों पिता स्व0 नान्हु महतो ग्राम छोटकीपुन्नू थाना गोमिया जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
छोटकीपुन्नू 56	20	498	50 डी0	20 डी0	रास्ता	जंगल, वो बैजनाथ महतो वो मोहन महतो	बिकेतागण	केतागण वाके
बीस डिसमिल जमीन मात्र।								

मो0 1,25,000/–(एक लाख पच्चीस हजार) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेतागण– इन्द्रनाथ महतो, परमेश्वर महतो दोनों पिता स्व0 लेदो महतो, सहदेव महतो पिता स्व0 बैजनाथ महतो ग्राम छोटकीपुन्नू थाना –गोमिया जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

15/07/12   15/07/12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 07:14:55 -08:00
Location: 192.168.1.35